बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

आवश्यक सूचना

आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

1. व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं।
2. जाति प्रमाण–पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है।
3. स्थायी आवास प्रमाण–पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है।
4. आय प्रमाण–पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है।
5. सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण–पत्र अवश्य लौटा दिये जायेंगे।
6. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।
7. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र बार–बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण–पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है।
8. राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण देय है।
9. दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है
10. स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती /नतीनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।
11. महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।

डब्ल्यू0बी0सी0 (पिछड़े वर्गों की महिला) का तात्पर्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला, इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3 प्रतिशत उर्ध्वाधर आरक्षण देय है, जो 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है।

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव

PR No.-10239 (G.A.D.) 2017-18

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612–2217048 पर करें।